प्रकरण संख्या 108/2015 श्रीमती नाथीबाई व अन्य बनाम श्रीमती वदनबाई व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.11.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 24 को छोड़कर शेष सभी प्रतिवादीगण एक ही खानदान के होकर संयुक्त परिवार के सदस्य हैं, जिसका सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर मूल पुरूष जेता पिता ठाकरी डांगी थे। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 23 तक की मौरूसी संयुक्त परिवार की भूमि हैं, जो जमाबन्दी संवत् 1992 तहसील साकरोदा, ठिकाना कुराबड़, जिला गिर्वा महकमा बन्दोबस्त जागीरात राज्य उदयपुर, मेवाड़ सफा नंबर 32 में दर्ज आराजी नंबर 10 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा, आराजी नंबर 12 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नंबर 13 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नंबर 14 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नंबर 340/2 रकबा 1 बिस्वा आ.चा., आराजी नंबर 793 रकबा 2 बिस्वा, आराजी नंबर 794 रकबा 19 बिस्वा, आराजी नंबर 795 रकबा 1 बिस्वा, आराजी नंबर 796 रकबा 1 बिस्वा, आराजी नंबर 797 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नंबर 800 रकबा 1 बिस्वा, आराजी नंबर 801 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नंबर 802 रकबा 8 बिस्वा, आराजी नंबर 803 रकबा 18 बिस्वा, आराजी नंबर 804 रकबा 1 बीघा, आराजी नंबर 805 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नंबर 806 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नंबर 919 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नंबर 921 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नंबर 1020 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 20 रकबा 31 बीघा 5 बिस्वा भूमि जमाबन्दी संवत् 2031 से 2034 में ग्राम टूस डांगियान, तहसील वल्लभनगर में स्थित है। उक्त आराजियात मूल पुरूष जेता जी के वारिसान गेरा, केवला, चेना, मोती, रत्ता पिता गांगा, देवा, पीथा, वाला, डूंगा, रूपा, सवा पिता जेता डांगी के नाम दर्ज है। वादीगण के दादा जेता जी के 7 पुत्र गांगा, देवा, पीथा, वाला, डूंगा, रूपा, सवा थे जो जेता जी की	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:46 IST
Reason: SelfAttested

मृत्यु के बाद विरासत से उनके पुत्रों के नाम दर्ज हुई तथा जेता जी के सातों पुत्र अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज चले आ रहे हैं। गांगा, देवा, पीथा, वाला, रूपा व सवा फोत हो चुके हैं, केवल डूंगला जीवित है। वादीगण के पिता सवा जी की करीब 33 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है तथा सवा जी ने अपनी सम्पत्ति की कोई वसीयत नहीं लिखी। सवा जी की मृत्यु के समय उसकी पत्नी गोमाबाई, पुत्र कन्ना, भीमा, दौला व पुत्री वादीगण वदनबाई व नवलीबाई कुल 6 वारिसान थे, जबकि सवा की मृत्यु के समय विरासत का नामान्तरकरण संख्या 350 दिनांक 22.12.1978 सिर्फ तीनों पुत्रों कन्ना, भीमा व दौला के नाम ही दर्ज हुआ, वादीगण व उनकी मां का नाम दर्ज नहीं किया गया, जो वादीगण के मुकाबले अवैध व प्रभाव शून्य है। इसी प्रकार कन्ना की मृत्यु पर नामान्तरकरण संख्या 780 दिनांक 14.05.1998 को स्वीकृत किया गया। कन्ना अविवाहित होकर लाऔलाद फोत हुआ, जिसने किसी प्रकार की वसीयत नहीं लिखी। कन्ना की मृत्यु के समय उसके दो भाई भीमा व दौला तथा वादीगण जो कन्ना की सगी बहने हैं, कानूनन सभी का बराबर हक बनता है। इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 780 भी अवैध होकर शून्य प्रभावी है। वादग्रस्त भूमि जिसका उल्लेख वाद पत्र की कलम संख्या 2 में किया गया है, सवा जी का 1/7 हिस्सा था तथा सवा की मृत्यु पर सवा के 6 वारिसान उसकी पत्नी तीनों पुत्र व दोनों पुत्रियां वादीगण का समान हक अधिकार है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ने गलत तरीके से पुश्तैनी जायजाद का नामान्तरकरण अपने नाम स्वीकृत करवा राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया, जो अवैध होकर विधि विरूद्ध है।

प्रतिवादी संख्या 1 भीमा ने अवैध तरीके से राजस्व रेकार्ड में भूमि अपने नाम दर्ज करवाने के बाद आराजी नंबर 13 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा में से 1/14 वां हिस्सा दिनांक 12.08.1998 को रजिस्टर्ड विलेख से प्रतिवादी संख्या 2 तुलसीराम के पक्ष में कर दिया, जिससे राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम दर्ज हो गया, जो शून्य व निष्प्रभावी है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 22.07.2010 को आराजी नंबर 10, 12, 14, 340/2, 793 से 797, 800 से 806, 1919,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:46 IST
Reason: SelfAttested

1921, 1020 कुल किता 19 रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा में से 1/14 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती नाथीबाई के पक्ष में कर दिया, जो अवैध होकर निष्प्रभावी है, क्योंकि कानूनन वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/28 वां हिस्सा ही बनता है। अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर वादीगण के पिता के 1/7 हिस्से में दोनों वादीगण का 1/4, 1/4 हिस्सा अर्थात प्रत्येक वादीगण का 1/28, 1/28 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.06.2015 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 3 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 26.11.2015 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर अधिवक्ता श्री मानाराम उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता को उक्त निर्णय व डिक्री की कोई सूचना नहीं दी। दिनांक 20.11.2015 को अधिवक्ता ने पेशी के बारे में पता किया तो उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अपील प्रस्तुत करने में करीब 3 माह का विलम्ब हुआ है, जिसे प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में कण्डोन किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:46 IST
Reason: SelfAttested

की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट नाथीबाई को बिना सुने तथा बिना कैम्प की कोई सूचना दिये निर्णय पारित किया है, जो अपास्त योग्य है। अपीलान्ट नाथीबाई ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, अधीनस्थ न्यायालय को बिना किसी विधिक दस्तावेज के खातेदार घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेते तबक उन्हें राजस्व न्यायालय में वाद लाने का अधिकार नहीं है। भीमा के पिता सवा का निधन संवत् 2012 अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व हुआ, जिससे सवा की भूमि में वादीगण का किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं बनता है तथा वादीगण अपनी ससुराल में रहती हैं, विवादित भूमि पर वादीगण का कोई कब्जा नहीं है। अपीलान्ट नाथीबाई ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, जिसे सुने बिना अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद डिक्री किया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2023 (1) पेज 247 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि विवादित आराजियात मौरूसी होने से भीमा का कानूनन 1/28 हिस्सा ही बनता है, जबकि उसके द्वारा 1/14 हिस्से का विक्रय किया गया है, जो शून्य व निष्प्रभावी है। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद स्वीकार कर बंटवारे की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त जागीरात राज्य मेवाड़ उदयपुर संवत [illegible] से वाद पत्र की कलम

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:46 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 2 वर्णित आराजी नंबर 10 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा, आराजी नंबर 12 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नंबर 13 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नंबर 14 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नंबर 340/2 रकबा 1 बिस्वा आ.चा., आराजी नंबर 793 रकबा 2 बिस्वा, आराजी नंबर 794 रकबा 19 बिस्वा, आराजी नंबर 795 रकबा 1 बिस्वा, आराजी नंबर 796 रकबा 1 बिस्वा, आराजी नंबर 797 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नंबर 800 रकबा 1 बिस्वा, आराजी नंबर 801 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नंबर 802 रकबा 8 बिस्वा, आराजी नंबर 803 रकबा 18 बिस्वा, आराजी नंबर 804 रकबा 1 बीघा, आराजी नंबर 805 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नंबर 806 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नंबर 919 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नंबर 921 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नंबर 1020 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 20 रकबा 31 बीघा 5 बिस्वा भूमि जेता वल्द ठाकरी डांगी के नाम दर्ज है एवं जेता जी की मृत्यु के बाद विरासत से उसके 7 पुत्रों गांगा, देवा, पीथा, वाला, डूंगला, रूपा, सवा को प्राप्त हुई। सवा की मृत्यु हो चुकी जिसके तीन पुत्र कन्ना, भीमा, दौला व दो पुत्रियां वादिया वदनबाई व नवली हुई। कन्ना लाऔलाद फोत होने से वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 सवा की पुत्रियां होने से उनके द्वारा सवा के 1/7 हिस्से में से 1/28, 1/28 हिस्से अनुसार घोषणा व विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर वादीगण प्रत्येक को 1/28, 1/28 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है।

इस संबंध में अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 3 नाथीबाई का कथन है कि उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.07.2010 से भूमि क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें बिना कोई सूचना दिये एवं बिना अपीलान्ट की सहमति के प्रकरण राजस्व कैम्प रखकर उन्हें बिना सुने वादीगण का वाद डिक्री कर दिया गया है, जो त्रुटि पूर्ण है। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त निर्णय व डिक्री अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में पारित की गयी है, क्योंकि

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:46 IST
Reason: SelfAttested

आदेशिका पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.07.2010 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट संख्या 2 भीमा द्वारा विवादित आराजियात में से आराजी नंबर 13 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा को छोड़कर शेष कुल किता 19 रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा में से 1/14 हिस्सा अपीलान्ट संख्या 1 नाथीबाई के पक्ष में किया जाकर कब्जा सिपुर्द किया गया है तथा आराजी नंबर 13 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा में से 1/14 हिस्से का विक्रय भीमा द्वारा पूर्व में ही दिनांक 12.08.1998 को प्रतिवादी संख्या 2 तुलसीराम के पक्ष में किया गया है। प्रकरण में हम यह पाते हैं कि अपीलान्ट नाथीबाई द्वारा रेकार्डे खातेदार भीमा से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया गया है, जबकि उसे बिना सुने अधिनस्थ न्यायालय ने वाद डिक्री किया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 199/2010 में पारित डिक्री दिनांक 19.06.2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 भीमा द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 3 नाथीबाई के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर भीमा को 1/14 हिस्सा विक्रय करने का अधिकार था अथवा नहीं, इस पर पक्षकारों को सुनकर एवं साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 15.01.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 05.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:46 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:46 IST
Reason: SelfAttested